

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर

कमांक :- 1865

दिनांक :- 11/2/17

सूचना संख्या 04/16-17 (वेब साईट पर अपलोड करने हेतु)

राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से आवासीय योजना मानसरोवर जयपुर, में निम्नलिखित कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ऑनलाईन/ऑफलाईन, सीलबंद निविदा मण्डल में पंजीकृत समुचित श्रेणी एवं अन्य विभागों में पंजीकृत संवेदको से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण की सत्यापित छायाप्रति, बिक्रीकर विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं केन्द्रीय उत्पाद विभाग में सर्विस टैक्स पंजीयन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा 1/2 प्रतिशत अमानत राशि मण्डल में पंजीकृत संवेदको से तथा अन्य विभागों में समुचित श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से 2 प्रतिशत अमानत राशि निविदा कम संख्या 1 का ड्राफ्ट उप आवासन आयुक्त वृत्त द्वितीय मानसरोवर जयपुर एवं ऑनलाईन शुल्क रु. 1000/- का ड्राफ्ट जो कि MD RISL JAIPUR के पक्ष में देय होगा तथा कम संख्या 2 से 4 का ड्राफ्ट संबंधित आवासीय अभियन्ता के नाम से बनाकर प्रस्तुत करना होगा। क्रम संख्या 1 के एकल बिड के अपलोड प्रपत्र के मूल प्रपत्र एवम् प्रोफार्मा A, B, C & D दिनांक 08.02.2017 से 09.03.2017 को सांय 6.00 बजे तक ई-प्रोक की साईट पर अपलोड/डाउनलोड की जानी है। बिड अपलोड मूल प्रपत्र इत्यादि दिनांक 10.03.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक वृत्त कार्यालय में प्राप्त किये जायें एवं उसी दिवस को 4.00 बजे संवेदकों के बिड ई - प्रोक पोर्टल पर खोली जावेगी। उपरोक्त कार्य दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश होने पर उसके अगले कार्य दिवस पर निविदा विक्रय एवं प्राप्त कर खोली जावेगी।

क. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य की अवधि	संबंधित खण्ड
1.	Water suppl scheme and Sewerage for Commercial Balt "B" at V.T. Road Mansarovar, Jaipur.	16.62	1000.00	6 माह	पी.एच. ई. प्रथम
2.	Repair, Renovation & Annual Maintenance Works in Community Centre Sector 12, Indra Path, Mansarovar. Jaipur.	9.97	1000.00	12 माह	षष्टम्
3.	Annual Maintenance of Community Centre, Sec-6 Heera path Mansarovar, jaipur	4.97	500.00	12 माह	नवम्
4.	Water supply and Sewerage scheme in local shopping centre sector-3 Madhyam Marg Mansarovar, Jaipur.	4.64	500.00	3 माह	पी.एच. ई. प्रथम

नोट : 1. कम संख्य 2,3,4 की निविदा ऑफलाईन के माध्यम से उपरोक्त तिथियों के अनुसार संबंधित खण्ड द्वारा विक्रय की जा कर प्राप्त की जायेगी। 2. प्राप्त निविदा बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है। 3. राजस्थान आवासन मण्डल में भविष्यनिधि/ सर्विस टैक्स अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा। 4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

— S —
उप आवासन आयुक्त
वृत्त द्वितीय जयपुर

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/ वित्तीय सलाहकार राज.आवासन मण्डल,जयपुर।
2. आवासीय अभियन्ता,राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड पी.एच.ई. प्रथम जयपुर को लेख है कि उपरोक्त निविदा के निविदा प्रपत्र दिनांक 08.02.2017 से पूर्व ई-प्रोक अपलोड कराये।
3. आवासीय अभियन्ता खण्ड षष्टम्/नवम् राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक एनालिस्ट कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा.आ.म. जयपुर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

— S —
उप आवासन आयुक्त,
वृत्त द्वितीय जयपुर